भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

परिपत्र
Circular

संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/055/03/2020 दिनांकः 04-03-2020
Ref. No: IRDAI/HLT/REG/CIR/055/03/2020 Date: 04-03-2020

प्रति / To,
सभी साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी को छोड़कर)
All General and Standalone Health Insurers (except ECGC, AIC)

विषयः मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी आशोधन दिशानिर्देश
Re: Modifications Guidelines on Standard Individual Health Insurance Product

1. सभी साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए आरोग्य संजीवनी पालिसी प्रस्तावित करना अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) करते हुए जारी किये गये मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों (संदर्भः आईआरडीएआई/एचएलटी/ आरईजी/सीआईआर/001/01/2020 दिनांक 01.01.2020) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के आंशिक आशोधन में निम्नलिखित मानदंड जारी किये जाते हैं।
Reference is invited to the Guidelines on Standard Individual Health Insurance Product (Ref: IRDAI/HLT/REG/CIR/001/01/2020 dated 01.01.2020) mandating all general and standalone health insurance companies offer Arogya Sanjeevani Policy. In partial modification of these guidelines, the following norms are issued.

2. आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016 के विनियम 4(iii) के उपबंधों के अनुसार, पालिसी दस्तावेज भौतिक रूप में उपलब्ध कराना उस स्थिति में अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) है जब पालिसियाँ इलेक्ट्रानिक रूप में जारी की जाती हैं। चूँकि आरोग्य संजीवनी पालिसी की विशेषताएँ समूचे उद्योग में सामान्य हैं तथा चूँकि पालिसी की शर्तें प्राधिकरण द्वारा पहले ही विनिर्दिष्ट की जा चुकी हैं, अतः परिचालन लागतों को कम करने तथा कम की गई परिचालन लागत का यह लाभ आगे पालिसीधारकों को वहनीय प्रीमियमों के रूप में देने के उद्देश्य से बीमाकर्ताओं को आरोग्य संजीवनी पालिसी की पालिसी संविदा इलेक्ट्रानिक/डिजिटल फार्मेट में जारी करने की अनुमति दी जाती है। उक्त पालिसी संविदा का डिजिटल रूप ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा अथवा बीमा प्रमाणपत्र में एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, जहाँ पालिसीधारक विशिष्ट रूप से भौतिक रूप में पालिसी संविदा की माँग करता है, वहाँ बीमाकर्ता द्वारा वह उपलब्ध कराया जाएगा।
In terms of the provisions of Regulation 4(iii) of IRDAI (Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016 providing policy document in physical form is mandatory when policies are issued in electronic form directly to the policyholders. Since features of Arogya sanjeevani policy are common across the industry and as the terms and conditions of the polciy are already specified by the Authority, with the objective of reducing the oprearating costs and to pass on this benefit of reduced operational cost to the policyholders by way of affordable premiums, insurers are allowed to issue the policy contract of Arogya Sanjeevani Policy in electronic / digital format. The digital

form of the policy contract may be forwaded through email or a link shall be provided in the certificate of insurance. However, where policyholder specifically seeks the physical form of the policy contract, the same shall be provided by the insurer.

3. आरोग्य संजीवनी पालिसी प्रस्तावित करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता स्वास्थ्य बीमा कवरेज की उपलब्धता निर्दिष्ट करते हुए पालिसीधारक को एक बीमा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा। इस प्रमाणपत्र में पालिसी संविदा की विस्तृत शर्तों तक पहुँचने के लिए संदर्भ दिया जाएगा।
Every insurer offering Arogya Sanjevani Policy shall provide a certificate of insurance to the policyholder indicating the availability of health insuarnce coverage. The certificate shall have a reference to access detailed terms and conditions of the policy contract.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has the approval of the competent authority.

(डी वी एस रमेश / D V S Ramesh)
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / General Manager(Health)